



250/11

दस्तावेज 2286700

27/07/11

198 कैलाश रोड, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226004

## राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

पत्रांक : 1983/05/76/एक/2015-16

दिनांक : 10 अगस्त 2015

सेवा में,  
जिलाधिकारी/अध्यक्ष,  
जिला नगरीय विकास अभिकरण  
जनपद-बस्ती।  
विषय : वित्तीय वर्ष 2015-16 में सूडा द्वारा आपके जनपद (टुंडा) को अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा गलिन बस्तियों में स्वीकृत परियोजनाओं की धनराशि का प्रेषण।

महोदय,  
अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा गलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु (अनुदान संख्या-37/83) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अयमुक्त कर दी गई है।

धनराशि का प्रेषण (लाख ₹ में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
एक्सिस बैंक	915010021963517	IFSC Code UTIB0000855	268.178

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/गलिन	निकाश का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	प्रथम/द्वितीय किस्त की धनराशि का प्रेषण
1	बस्ती	अल्पसंख्यक-37 बजट-I किस्त	न०पा०प० बस्ती	मु० विशुनपुरवा में अजयु, मासूक अली के घर से पंकज, शीला, राजन व अन्य के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	17.047
2	बस्ती	अल्पसंख्यक-37 बजट-I किस्त	न०पा०प० बस्ती	मु० विशुनपुरवा में इशरत अली के घर से महबूब व अन्य के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	13.991
3	बस्ती	अल्पसंख्यक-37 बजट-I किस्त	न०पा०प० बस्ती	मु० विशुनपुरवा में एबूखान, राम प्रसाद के घर होते हुये रमेश, डी०एन० व बेलवाडाड़ी चौराह तक इण्टरलाकिंग सड़क व दोनों तरफ नाली निर्माण कार्य।	17.167
4	बस्ती	अल्पसंख्यक-37 बजट-I किस्त	न०पा०प० बस्ती	मु० बेलवाडाड़ी में हसरत उमर गार्ण्टेसरी स्कूल के सामने से होते हुये मस्जिद से बबू के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	15.592
5	बस्ती	अल्पसंख्यक-37 बजट-I किस्त	न०पा०प० बस्ती	मु० बेलवाडाड़ी में अली हसन के घर से अलीउल्लाह सिद्दीकी के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	15.708
6	बस्ती	अल्पसंख्यक-37 बजट-I किस्त	न०पा०प० बस्ती	मु० बेलवाडाड़ी में डा० निहाल के घर से गार्ण्टेसरी होते हुये वाहिद के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	17.047
7	बस्ती	अल्पसंख्यक-37 बजट-I किस्त	न०पा०प० बस्ती	मु० बेलवाडाड़ी में इन्दु, मिस्त्री के घर से अतिउल्लाह सिद्दीकी के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	15.592
8	बस्ती	अल्पसंख्यक-37 बजट-I किस्त	न०पा०प० बस्ती	वार्ड न० 19 मु० बेलवाडाड़ी में जरीना परवीन के मकान से जावेद निजामी के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	3.599
9	बस्ती	अल्पसंख्यक-37 बजट-I किस्त	न०पा०प० बस्ती	वार्ड सं० 11, न०० रीतापार में कल्पना श्रीवास्तव के मकान से बादशाह मेरिज हाल तक एवं चौधरी के घर से सोनु त्रिपाठी एवं अन्य के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	12.007



250/2

दस्तावेज- 2286/104

2286/104

गठन संख्या संख्या 10 अक्टूबर 1971, संख्या- 2286/104

राज्य नगरीय विकास अधिकरण, उ.प्र.

क्र.सं.	संस्थापक/संस्थान	विकास क्षेत्र	वार्ड/काई का नाम	प्रमाण/द्वितीय विकास की संख्या की प्रमाण
1	महान नरती 83 वार्ड- II किरत	नयागांव नरती	वार्ड सं 11, गौरी चौक में नयागांव के घर से निकल के घर होते हुए सालाव एवं अन्य के घर तक इन्टरलॉकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	14.064
2	महान नरती 83 वार्ड- II किरत	नयागांव नरती	वार्ड सं 11, गौरी चौक में नयागांव के घर से कृष्ण चौक एवं अन्य के घर तक इन्टरलॉकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	5.986
3	महान नरती 83 वार्ड- II किरत	नयागांव नरती	वार्ड सं 21, गौरी चौक में नयागांव के घर से गौरी चौक अन्य के घर तक इन्टरलॉकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	8.733
4	महान नरती 83 वार्ड- II किरत	नयागांव नरती	वार्ड सं 21, गौरी चौक में नयागांव के घर से गौरी चौक के घर तक एवं नयागांव नयागांव के घर से भारत एवं अन्य के घर तक इन्टरलॉकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	11.815
5	महान नरती 83 वार्ड- II किरत	नयागांव नरती	वार्ड सं 02, गौरी चौक में नयागांव के घर से गौरी चौक के मकान से गौरी चौक तक इन्टरलॉकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	19.876
6	महान नरती 83 वार्ड- II किरत	नयागांव नरती	वार्ड सं 05, गौरी चौक में नयागांव के घर से गौरी चौक एवं गौरी चौक के मकान से श्री गौरी चौक के मकान तक इन्टरलॉकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	9.195
7	महान नरती 83 वार्ड- II किरत	नयागांव नरती	वार्ड सं 11, गौरी चौक में नयागांव के घर से गौरी चौक सिंह के मकान तक व नयागांव के मकान से गौरी चौक तक इन्टरलॉकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	10.530
8	महान नरती 83 वार्ड- II किरत	नयागांव नरती	वार्ड सं 11, गौरी चौक में नयागांव के घर से गौरी चौक के मकान से श्री गौरी चौक के मकान तक इन्टरलॉकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	10.084
9	महान नरती 83 वार्ड- II किरत	नयागांव नरती	वार्ड सं 19, गौरी चौक में नयागांव के घर से गौरी चौक के मकान से गौरी चौक तक इन्टरलॉकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	11.916
10	महान नरती 83 वार्ड- II किरत	नयागांव नरती	वार्ड सं 11, गौरी चौक में नयागांव के घर से गौरी चौक के मकान से गौरी चौक के मकान तक इन्टरलॉकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	7.441
11	महान नरती 83 वार्ड- II किरत	नयागांव नरती	महान नरती चौक में नयागांव के घर से गौरी चौक के मकान तक इन्टरलॉकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	14.314
12	महान नरती 83 वार्ड- II किरत	नयागांव नरती	महान नरती चौक में नयागांव के घर से गौरी चौक के मकान तक इन्टरलॉकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	14.314
13	महान नरती 83 वार्ड- II किरत	नयागांव नरती	महान नरती चौक में नयागांव के घर से गौरी चौक के मकान तक इन्टरलॉकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	14.314



250/3

दस्तावेज नं. 2086700

2286710

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

- 1- उ०प्र० सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी०सी० रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत डी०पी०आर०/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- 2- स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- 3- प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सख्त स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्यक प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
- 4- अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तात्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 5- स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय वाय्वता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- 6- प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुरितका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।
- 7- परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख-रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तादात्म्य की सहमति ले ली जाये।
- 8- योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- 9- उक्त धनराशि सूडा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुरार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।
- 10- प्रश्नगत परियोजना में मुक्तान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- 11- अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उरही परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के कम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 12- शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष प्रथम किश्त के सापेक्ष 50 प्रतिशत की धनराशि अवमुक्त की गयी है जिसमें अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है तथा द्वितीय किश्त की धनराशि में अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि एवं द्वितीय किश्त में 20 प्रतिशत की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित निर्धारित प्रपत्र पर सूचना अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे रोक की गयी धनराशि को अवमुक्त किया जा सके।

भवदीय,

(नाल प्रताप सिंह)  
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नालिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. अधि० अभियन्ता-सूडा
3. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग सूडा।

(नाल प्रताप सिंह)  
वित्त नियन्त्रक